In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

Hajipur Sadar P.S. Case No.-780/2020

NDPS(Gr) 100/2020

U/S-8/20(b)(ii)(B),25 & 29 NDPS ACT
Order Dated:-24-04-2023

24-04-2023

दिनांक 10.06.2022 से इस वाद मे काराधीन अभियुक्त संजय पासवान की ओर से जमानत आवेदन दाखिल करते हुये विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक पूर्व मे जमानत पर था तथा अभिलेख आरोप गठन हेतु नियत था किंतु आवेदक की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 15.03.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक का बंधपत्र खंडित करते हुये गैर जमानतीय अधीपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। आवेदक हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–1025/2021 मे काराधीन था, आवेदक की ओर से जानबूझकर गलती नही किया गया है, प्रस्तुत वाद मे आरोप का गठन हो चुका है तथा अभिलेख साक्ष्य हेतु नियत है। आवेदक पुनः अनुपस्थित होने की भूल नही करेगा तथा माननीय न्यायालय के प्रत्येक आदेश का पालन करेगा एवं प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा। आवेदक दिनांक 10.06.2022 से इस वाद मे काराधीन है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाये।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक पूर्व मे जमानत पर था तथा अभिलेख आरोप गठन हेतु नियत था किंतु आवेदक की लगातार अनुपस्थिति के कारण दिनांक 15.03.2022 को बंधपत्र खंडित कर दिया गया तथा गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। इस न्यायालय द्वारा निर्गत उपास्थापना के आधार पर दिनांक 10.06.2022 को आवेदक को कारा से प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 24.08.2022 को प्रस्तुत वाद मे आरोप का गठन किया गया है। अभिलेख साक्ष्य हेतु नियत है। आवेदक इस वाद मे दिनांक 10.06.2022 से काराधीन है तथा आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक पुनः अनुपस्थित होने की भूल नही करेगा तथा माननीय न्यायालय के प्रत्येक आदेश का पालन करेगा एवं प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त सभी तथ्यो एवं परिस्थितियो के अवलोकन से आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया

Web Copy not Official
ADJ I VAISHALI

In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

Hajipur Sadar P.S. Case No.-780/2020

NDPS(Gr) 100/2020

U/S-8/20(b)(ii)(B),25 & 29 NDPS ACT

जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप आवेदक की ओर से 25,000 (पच्चीस हजार) रूपये के दो जमानदार का बंधपत्र दाखिल किये जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

Web Copy not Official

(Deepak Kumar Singh)
Addl. Sessions Judge-I
Vaishali at Hajipur
24-04-2023

ADJ1 VAISHALI